फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ (चूरू)

मांगीलाल जाट बनाम राज. सरकार

प्रार्थना पत्र– अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट न.मु.– 41 / 2023 GCMS No. – 2023/65

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
21.07.23		

यह प्रार्थना–पत्र भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थी श्री महावीर प्रसाद पुत्र स्व. शेराराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम कोलासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व रिकॉर्ड में रोही लालपुरा जमाबन्दी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 51 में नागरमल पुत्र शेराराम दर्ज है। जो गलत है। प्रार्थी का सही नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों के अनुसार महावीर प्रसाद पुत्र पुत्र शेराराम है। प्रार्थी का नाम महावीर प्रसाद पुत्र शेराराम किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार सुजानगढ़ से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रोही लालपुरा की जमाबन्दी संवत 2074–2077 के खाता संख्या 51 में नागरमल पुत्र शेराराम दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेजात, पटवारी, भू.अ.नि. की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम महावीर प्रसाद पुत्र शेराराम है जो शुद्ध किया जाना उचित है।

प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, दस्तावेजात, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत कोलासर एवं तहसीलदार सुजानगढ़ की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में रोही मौजा लालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की जमाबन्दी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 51 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं–

क्रं. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	लालपुरा	51 (नया)	नागरमल पुत्र शेराराम जाति मेघवाल निवासी कोलासर खातेदार	महावीर प्रसाद पुत्र शेराराम जाति मेघवाल निवासी कोलासर खातेदार

राहिन की प्रविष्टि यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21/07/2023 को लिखाया जाकर सर इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़